54

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

कमांक– प.10( )निप्र/09–10/मुअ/अनु–13/172 दिनांक– 17/2/10

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिकनिर्माण विभाग,
संभाग–समस्त।

(2) अधीक्षण अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
वृत–समस्त।

(3) अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड–समस्त।

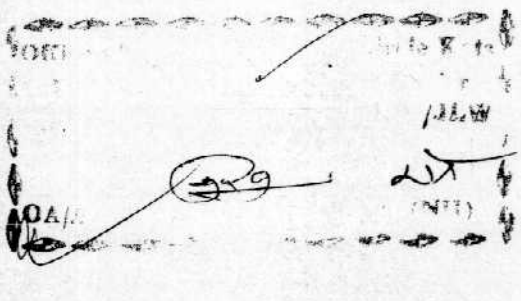

copy to all EES

विषय : प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा चयनित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अंतिम मीमो दिये जाने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा चयनित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अंतिम मीमो दिये जाने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए। दोषी व्यक्तियों में अधिकारी, कर्मचारी, संवेदक अथवा फर्म सम्मिलित है। आवश्यक कार्यवाही अन्तर्गत अनुशासनात्मक/वसूली संबंधी कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये। जन लेखा समिति की बैठक दिनांक 17.12.2009 में अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अंतिम मीमो दिये जाने के पश्चात् कार्यवाही नहीं करने पर चिन्ता व्यक्त की गयी हे। भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों के उपस्थापित होने की प्रतीक्षा कर कार्यवाही किये जाने के बजाय अंतिम मीमो प्राप्त होने पर ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

मुख्य अभियन्ता

कमांक– प.10( )निप्र/09–10/मुअ/अनु–13/ दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, वास्ते प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, वास्ते शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार

D:\Sec.13 Gen\Audit\AUDIT PARA-1.doc

1A